न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **09/20 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No. : 2020/00059

1. श्री विनोद पिता खेमा जाट निवासी ढुंढिया तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्रीमती धापुबाई पत्नी भीमा गाडरी निवासी ढुंढिया तह. मावली।
2. श्रीमती नारायणी पुत्री भीमा पत्नी भंवरलाल गाडरी निवासी ढुंढिया हाल मणीगा का खेडा तह. भीण्डर।
3. श्री मांगु पिता चेना गाडरी निवासी ढुंढिया तह. मावली।
4. श्री उदा मुतबन्ना मोती गाडरी निवासी ढुंढिया तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का ढुंढिया तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 23.07.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 677, 678, 679, 681, 682 उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं मेरी बहिन शान्ता, रेखा पिता खेमा एवं माता छगनी पत्नी स्व. खेमा जाट के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 477, 652, 654/1, 666 उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 477, 652 विपक्षी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से एवं आराजी नम्बर 654/1 विपक्षी सं. 3 के नाम स्वतन्त्र रूप से आराजी नम्बर 666 विपक्षी संख्या 4 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजनों की कृषि भूमियों पर हमारे खेतों की उत्तर दिशा की तरफ सार्वजनिक रास्ते (सेर) के सटमा दक्षिण दिशा में स्थित विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नम्बर 477 की पूर्वी पाली पर से होते हुए आराजी संख्या 652 की उत्तरी पाली पर से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 654/1 रकबा 5 बिस्वा में से 1 बिस्वा किस्म रास्ते से होते हुए विपक्षी संख्या 4 की आराजी नम्बर 666 रकबा 9.16 बीघा में से 8 बिस्वा किस्म रास्ते से होते हुए हमारे कुए आराजी संख्या 682 पर जाते आते है और उसके बाद हमारी आगे स्थित अन्य कृषि भूमियों पर आते जाते रहे है जो रास्ता 10 फीट से 12 फीट के आसरे है जिससे होकर मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा मेरी कृषि भूमि पर लाते आ रहे है और हमारी कृषि भूमियों पर उपजने वाली फसलों को भी बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा इसी रास्ते का सदीप से पीढी दर पीढी मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। साथ संलग्न नजरी नक्शें में रास्ता को चमकीले रंग से दर्शाया गया हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं।

3. यह कि मुझ प्रार्थी के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है जिसकों दिनांक 20.08.2019 को विपक्षी संख्या 1, 2 ने आराजी नम्बर 477 के मुहाने पर कांटो की बाड लगाकर बन्द कर दिया और इसके बाद आराजी नम्बर 652 से होते हुए आराजी संख्या 654/1 के मुहाने पर विपक्षी संख्या 3 ने थोहर की बाड लगाकर मेरा रास्ता बन्द कर दिया। उक्त रास्ता खुलवाने हेतु मुझ प्रार्थी ने गांव के मौतबीर लोगों को कहा तो उन्होने भी मौके पर आकर देखा और विपक्षी संख्या 1 से 4 को कहा कि इनका रास्ता क्यों बन्द कर रखा है तो विपक्षी संख्या 1 से 4 उल्टे मौतबीरों को अनाप सनाप बाते कहने लगे और कहा कि यह हमारी जमीन है हम चाहे जिसको आने दे, तुम कौन होते हो हम समझाने वाले। उक्त घटनाक्रम होने के बाद मुझ प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार मावली के समक्ष उक्त रास्ता खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और मुझ प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार मावली के समक्ष विवादित रास्ते से सम्बन्धित मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आग्रह किया गया जिस पर न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा मुझ प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए जरिये आदेश क्रमांक/19/271 दिनांक 26.08.2019 को भू-अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये और न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

मावली के आदेश की अनुपालना में दिनांक 29.08.2019 को पटवारी ढुंढिया ने मौके पर रेकार्ड एवं मौके की जांच कर एवं मौतबीरान से पूछताछ करते हुए इस आशय की मौका रिपोर्ट तैयार की गई कि ''ग्राम ढुंढिया के आराजी नम्बर 674 से 679, 681, 682, 754 कुल किता 9 कुल रकबा 46.12 बीघा खातेदार श्री विनोद, शान्ता, रेखा पिता खेमा छगनी पत्नी स्वर्गीय खेमा जी जाट के खेतो पर जाने का सेटलमेन्ट से ही आराजी नम्बर 477, 652 में खातेदार श्रीमती नारायणीबाई पिता भीमा, धापुबाई पत्नी स्वर्गीय भीमा गायरी एवं 654/1 खातेदार श्री मांगु पिता चेना गाडरी और आराजी नम्बर 666 के खातेदार श्री उदा मु. मोती गाडरी निवासी ढुंढिया के खातेदारी आराजीयात में से रास्ते किस्म अंकित है और मौतबीरानों द्वारा जाहिर आया कि 50–60 वर्षों में यही से आना जाना होता है। अतः 7–8 दिनों से उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है वर्तमान में बन्द हैं'' इसके पश्चात् न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक के आधार पत्रावली प्रकरण संख्या 01/2019 विविध प्रार्थना पत्र (रास्ता सम्बन्धी) दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी संख्या 1 से 4 को जरिये सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया जिस पर विपक्षी संख्या 1 से 4 ने न्यायालय तहसीलदार मावली में हाजिर होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की साक्ष्य ली गई एवं बहस सुनी गई अर्थात मामले की गुणावगुण के आधार पर पूर्ण सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2019 को मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया एवं आदेश दिया गया कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 674 से 679, 681, 682, 754 किता 9 रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए आराजी संख्या 477, 652, 654/1 एवं 666 में से प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने, अपने पशु लाने ले जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसके साथ ही विपक्षीगण द्वारा बन्द किये गये रास्ते को खुलवाने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक ईण्टाली एवं पटवारी हल्का ढुंढिया को आदेशित किया गया।

4. यह कि न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा पारित किये गये निर्णय की पालना में भू अभिलेख निरीक्षण ईण्टाली एवं पटवारी हल्का ढुंढिया द्वारा मौके पर आकर विपक्षीगण द्वारा बन्द किये गये रास्ते [illegible]वाया गया जिससे मैं प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन पहले की [illegible] से होकर अपनी कृषि भूमियों पर आवागमन एवं उपयोग उपभोग करने ल[illegible] गये। किन्तु कुछ समय पश्चात् विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 4 ने जोर जबरदस्ती अनाधिकार रूप से उक्त रास्ते में अवरोध पैदा करते हुए हमारी भूमियों पर आवागमन करने में रूकावट करने लग गये और समझाईश करने पर गाली गलोच कर लडाई झगडा करने लग गये और दिनांक 12.08.20 को विपक्षी संख्या 1 से 4 ने हम सलाह एक राय होकर हमारी जमीन पर आवागमन करने के लिए परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात में स्थित रास्ते को ट्रेक्टर से हंकवाकर अपनी जमीन में मिलाकर अवरूद्ध कर दिया और सार्वजनिक रास्ते के सटमा स्थित आराजी नम्बर 477 के मुहाने पर थौहर की बाड बनाकर रास्ते को बन्द कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 1 से 4 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मुझ प्रार्थी को इस बात का ज्ञात होने पर मुझ प्रार्थी ने मौके पर जाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 को रास्ते के मुहाने पर बाड बनाने से एवं रास्ते को हांकने से मना किया तो विपक्षी संख्या 1 से 4 आग बबुला होकर मुझ प्रार्थी के साथ मॉ बहिन की फौस फौस गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि दुबारा इस रास्ते पर नजर आ जायेगा तो तेरे गट्टे गट्टे करके इसी पूरे रास्ते दफना देगें।

5. यह कि मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजनों के पास परिशिष्ट अ में वर्णित हमारी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है जबकि उक्त रास्ता सेटलमेन्ट के रेकार्ड में भी दर्ज हैं। परन्तु वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा आपस में मिलीभगत कर हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजीयात में बने रास्ते एवं रेवेन्यु रेकार्ड अंकित रास्ते को जोर जबरदस्ती ट्रेक्टर से हांक कर अपनी जमीन में मिलाकर बाड बना दी और रास्ते को अवरूद्ध कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं मान रहे है। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त रास्ते को हाक कर व बाड बनाकर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहा हूं और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, फसल, बुवाई, बाड वगैरा ही करवा सक रहा हूं।

6. यह कि सदीप से मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता यही रहा है और इस रास्ते की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा दिये गये आदेशों में हुई है और उक्त रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश भी दिये गये है और न्यायालय के आदेश के अनुसार रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

खुलवाया जाने के आदेश भी दिये गये है और न्यायालय के आदेश के अनुसार रास्ते को खुलवाया भी गया था लेकिन विपक्षी सं. 1 से 4 बलपूर्वक हमसलाह एक राय होकर उक्त रास्ते को हाक कर अवरूद्व कर बन्द कर दिया है जबकि इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मुझ प्रार्थी ने मेरी कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनकी आराजीयात की पाली पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 4 ने रास्ते देने से साफ इन्कार कर दिया और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजनों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते से विपक्षी सं. 1 से 4 की खातेदारी की आराजी जिसका परिशिष्ट ब में वर्णन किया है व प्रार्थना पत्र में रास्ते का वर्णन किया गया है उस अनुसार हमारी जमीन पर बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का करीब 20 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा/जमा कराने को तैयार हूं।

7. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि मुझ प्रार्थी की जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 477, 652, 654/1, 666 पर ही सदीप से बना हुआ है जिससे होकर ही मेरे पूर्वज पहले आते जाते रहे है और अपने संज बैल मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी वगैरा भी इसी रास्ते से होकर हमारे खेतो पर लाते ले जाते रहे है तथा सेटलमेन्ट के रेवेन्यु रेकार्ड में भी उक्त रास्ता दर्ज है और न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा भी अपना निर्णय देकर हमारी जमीनों पर आने जाने के इस रास्ते की पुष्टि की और रास्ते को खुलवाया भी गया है। लेकिन वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा उक्त रास्ते को हाककर अपनी जमीन में मिलाकर बाड बनाकर रास्त को अवरूद्व कर देने से एवं मेरी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में मैं प्रार्थी अपनी जमीनों में जाकर खेतो की साफ सफाई, बाड, फसल, बुवाई, हंकाई वगैरा भी नहीं करवा पा रहा हूं। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थी को जमीनों तक पहुंचने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 4 की परिशिष्ट ब में अंकित आराजीयात में से नया मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजीयात में नया मार्ग कायम करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते (सेर) एवं मेरी भूमियों के एकदम मध्य (सटमा) और निकट है। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 4 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से मैं प्रार्थी मेरी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकूंगा जिससे मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित भी होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

8. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.08.20 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 4 ने उनकी भूमि में स्थित रास्ते को ट्रेक्टर से हाककर जमीन में मिलाकर एवं मुहाने पर बाड बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया जिस पर मुझ प्रार्थी ने मेरी कृषि भूमि तक पहूंचने के लिए उनकी भूमि पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 1 से 4 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए, उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में अंकित आराजीयात पर पहूंचने तक के लिए परिशिष्ट ब में अंकित विपक्षी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की आराजीयात पर 20 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावे एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 5, 6 को आदेशित किया जावे और उक्त रास्ते का नियमानुसर शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। यह कि विपक्षी संख्या 1 से 4 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियों मे शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, मौके पर स्थित रास्ते की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करे एवं प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हांके नहीं, इसमें किसी प्रकार की दखल[illegible] स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

11. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 677, 678, 679, 681, 682 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें। [illegible] की चौडाई भी अंकित करें।

   तहसीलदार मावली [illegible] प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी सं. 1 से 4 की आराजी नम्बर 4[illegible], 652, 654/1, 666 में से 0.2010

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर/1.05 बीघा भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 20 फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,94,431/— अक्षरे एक लाख चौरानवे हजार चार सौ इक्कतीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.2010 हेक्टेयर/1.05 बीघा की कुल कीमत 2,43,038/— अक्षरे दौ लाख तियालीस हजार अडतीस रूपयें होना बताया हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा ढुंढिया पटवार क्षैत्र ढुंढिया की आराजी नम्बर 677, 678, 679, 681, 682 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 4 की भूमि आराजी नम्बर 477, 652, 654/1, 666 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षी सं. 1 से 4 की आराजी में से प्रस्तावित 20 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 20 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 666 में से 0.1054 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2106/654 में से 0.0392 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 652 में से 0.0564 हेक्टेयर कुल रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि 0.2010 हेक्टेयर/1.05 बीघा भूमि को प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 0.2010 हेक्टेयर/1.05 बीघा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार क्षैत्र ढुंढिया की आराजी नम्बर 677, 678, 679, 681, 682 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 4 की आराजी नम्बर 666 में से 0.1054 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2106/654 में से 0.0392 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 652 में से 0.0564 हेक्टेयर कुल रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि 0.2010 हेक्टेयर/1.05 बीघा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

1,94,431/– अक्षरे एक लाख चौरानवे हजार चार सौ इक्कतीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.2010 हेक्टेयर/1.05 बीघा की कुल कीमत 2,43,038/– का दुगुना 4,86,076/– रूपयें अक्षरे चार लाख छियासी हजार छिहत्तर रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 4 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 4 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.04 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested